

पुत्र नाथा जाति भील निवासी दीपला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण

1. नाथा पुत्र राणा 2. मंजीराम 3. दानाराम 4. हीराराम 5. डायाराम पि. नाथा जतियान भील निवासी दीपला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
6. खेता पुत्र गांधी जाति भील निवासी सराईयों का तला तहसील सेड़वा
7. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा सेड़वा।
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान मू राजस्व अधिनियम मु.न.06/23/2023

प्रार्थी के वकील श्री करनाराम कड़वासरा ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। विप्रार्थीगण को तलबी एवं जवाब वास्ते दिनांक 22.02.2023 को पेश हो।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस एवं सलंगन दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में कयास होता है, अतः जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख तक इस कदर पाबंद किया जाता है कि वो तहसील सेड़वा के मौजा दीपला पटवार क्षेत्र जानपालिया मू.अ.नि. क्षेत्र बुरहान का तला के खेत खसरा संख्या 96 क्षेत्रफल 4.1925 हैक्टर खसरा संख्या 342/184 क्षेत्रफल 3.2375 हैक्टर खसरा संख्या 566/96 क्षेत्रफल 3.6503 हैक्टर किस्म वारानी सोयम विप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं करें। मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस दिवस 7 दिन में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावे। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। तलबी विप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर एडी, नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 22.02.2023 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

10/01/23 पत्रावली पेशा हुई। प्रार्थी वकील मय-छाणी एवं ठप.। मुक्ति भूस्वाद को जरिये स्वीकारा किया कर दिया गया। अब इस आवेदन को ठगने-बन्धने का कोई औचित्य नहीं है। इस आवेदन की कार्यवाही जल्दी स्तर पर समाप्त की जाती है। पूर्व में इस आवेदन द्वारा जारी स्वयंसेवा आदेश दिनांक 04/01/2023 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फ्रैसल सुफार सेक्टर नरिनल दफ्तर से भूस्वाद को संलग्न हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

उ. धारा 23
श्री
(प्रार्थी वकील)

